पत्रांक–02 / न०वि० / स्था०व्यय० / जला०सा०आ०–109 / 2018–......73......

झारखंड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, रांची।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

रांची, दिनांक 09/07/18

विषयः–वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना व्यय अंतर्गत जलापूर्ति तथा साफ–सफाई मद में उपबंधित राशि से राज्य के 18 नगर परिषदों को कुल 2,35,83,106/- रु० (दो करोड़ पैंतीस लाख तिरासी हजार एक सौ छः रु०) मात्र अनुदान राशि की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना व्यय अंतर्गत जलापूर्ति तथा साफ–सफाई मद में उपबंधित राशि से राज्य के 18 नगर परिषदों को कुल 2,35,83,106/- रु० (दो करोड़ पैंतीस लाख तिरासी हजार एक सौ छः रु०) मात्र अनुदान की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

क्र०	नगर परिषद का नाम	कुल आवंटित राशि	कोषागार / उप कोषागार का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
i	ii	iii	iv	v
1	चिरकुण्डा	645760	धनबाद	कार्यपालक पदाधिकारी
2	झुमरीतिलैया	2207336	कोडरमा	कार्यपालक पदाधिकारी
3	फुसरो	2075902	तेनुघाट	कार्यपालक पदाधिकारी
4	रामगढ़	5015601	रामगढ़	कार्यपालक पदाधिकारी
5	गुमला	947516	गुमला	कार्यपालक पदाधिकारी
6	लोहरदगा	1486164	लोहरदगा	कार्यपालक पदाधिकारी
7	सिमडेगा	1349498	सिमडेगा	कार्यपालक पदाधिकारी
8	दुमका	1111883	दुमका	कार्यपालक पदाधिकारी
9	मधुपुर	1048506	मधुपुर	कार्यपालक पदाधिकारी
10	गोड्डा	819051	गोड्डा	कार्यपालक पदाधिकारी
11	पाकुड़	767894	पाकुड़	कार्यपालक पदाधिकारी
12	साहेबगंज	1057841	साहेबगंज	कार्यपालक पदाधिकारी
13	मिहिजाम	604521	जामताड़ा	कार्यपालक पदाधिकारी
14	चाईबासा	713407	चाईबासा	कार्यपालक पदाधिकारी
15	चक्रधरपुर	853179	चक्रधरपुर	उपायुक्त, सरायकेला
16	जुगसलाई	627421	जमशेदपुर	कार्यपालक पदाधिकारी
17	विश्रामपुर	1447670	पलामू	कार्यपालक पदाधिकारी
18	गढ़वा	803956	गढ़वा	कार्यपालक पदाधिकारी
	कुल–	**2,35,83,106**	(दो करोड़ पैंतीस लाख तिरासी हजार एक सौ छः रु०)	

2. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के मांग संख्या–48 के अधीन स्थापना व्यय–मुख्यशीर्ष–2215–जल पूर्ति तथा सफाई–उप मुख्यशीर्ष–02 – मल जल तथा सफाई–लघुशीर्ष–192–नगरपालिकाओं / नगरपालिका परिषदों को सहायता–उप शीर्ष–06–पानी तथा मल–जल सफाई के लिए नगर पार्षदों एवं नगरपालिकायों को सहाय्य अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)–विपत्र कोड–48S221502192060679 के अंतर्गत उपबंधित राशि 250.00 लाख रु० से की जायगी।

3. स्वीकृत अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तालिका के स्तंभ–v में उल्लेखित पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी तालिका के स्तंभ–iv में उल्लेखित संबंधित कोषागार से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से की जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि आवंटन के 15 दिनों के अंदर राशि की निकासी सुनिश्चित करते हुए विभाग को सूचित करेंगे।

4. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं०–2561 / वि० दि०–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

Arun/D/VINAY JI/S.O.(Mal-Jal Saf-safai 18-19)

5. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका– 5(iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र कोषागार में TC Form-60 में प्रस्तुत किया जाएगा।

6. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है:–

क्र०	निकाय का नाम	स्वी०संख्या/तिथि	निकासी की गई राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
1	चिरकुण्डा	249/10.01.17	6,96,471	6,96,471
2	झुमरीतिलैया	38/19.05.16	19,53,516	19,53,516
3	फुसरो	38/19.05.16	18,34,958	18,34,958
4	रामगढ़	38/19.05.16	44,64,786	44,64,786
5	गुमला	38/19.05.16	8,33,928	8,33,928
6	लोहरदगा	38/19.05.16	13,15,869	13,15,869
7	सिमडेगा	38/19.05.16	11,98,005	11,98,005
8	दुमका	38/19.05.16	9,82,892	9,82,892
9	मधुपुर	38/19.05.16	9,23,321	9,23,321
10	गोड्डा	387/22.03.17	9,66,007	9,66,007
11	पाकुड़	38/19.05.16	6,74,370	6,74,370
12	साहेबगंज	50/10.06.16	9,20,428	9,20,428
13	मिहिजाम	38/19.05.16	5,29,397	5,29,397
14	चाईबासा	50/10.06.16	8,61,735	8,61,735
15	चक्रधरपुर	38/19.05.16	7,47,352	7,47,352
16	जुगसलाई	50/10.06.16	5,46,831	5,46,831
17	विश्रामपुर	38/19.05.16	12,86,233	12,86,233
18	गढ़वा	38/19.05.16	7,06,702	7,06,702

7. संबंधित निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि का उपयोग शहरी क्षेत्रों में चापाकल मरम्मति/जलापूर्ति तथा साफ–सफाई के लिए किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत अनुदान राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

9. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/ पंजियों की जांच–पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का सहमति प्राप्त है।

11. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि०, दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–02/न०वि०/स्था०व्यय०/जला०सा०आ०–109/2018–73, राँची, दिनांक 09/07/18

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित सभी उपायुक्त/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) एवं स्थानीय लेखा परीक्षक, झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/ संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/संबंधित सभी निकाय के अध्यक्ष/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

Arun/D/VINAY Ji/S.O.(Mal-Jal Saf-safai 18-19)-2